# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्याः 06/2019

दायर दिनांकः 19.09.2019

निर्णय दिनांक 01.03.2021

—:अनवानः—

श्री लक्ष्मणसिंह पिता स्व. पृथ्वीसिंह चदाणा निवासी सिरोही की भागल, गावगुडा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

————अपीलांट

—:बनामः—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील खमनोर जिला राजसमंद

————रेस्पोण्डेंट

**अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 05.09.2019, न्यायालय तहसीलदार खमनोर प्रकरण संख्या 29/19 में पारित आदेश के विरूद्ध**

---

**उपस्थितः—**

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश चन्द्र बौल्या,राजकीय अधिवक्ता

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम सिरोही की भागल तहसील खमनोर के आ0नं0 1974 रकबा 18—10 बीघा व आ0नं0 3386 रकबा 16—03 बीघा में से 10—00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार, खमनोर को प्रस्तुत की गयी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांकः 05.09.2019 को अपीलांट की बैदखली व शास्ति 450/— आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय दिनांकः 16.09.2019 को पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, प्रकरण में अपीलांट कि ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के विपरित जाकर आदेश पारित किया तथा अपीलाण्ट को प्रकरण में न तो साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया गया तथा न ही बहस करने हेतु अवसर दिया गया, इसलिए आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलाण्ट को जो सूचना पत्र नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में दिया गया, उस सूचना पत्र में सन 1976 से अतिचार करना बताया जबकि प्रार्थी ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट बताया कि पेमाईशी से पूर्व मूल आराजी नं0 2529, जो कूल रकबा ईकरासी बिघा पन्द्रह बिस्वा किस्म बिलानाम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

भूमि स्थित थी, उस आराजी नम्बर 2529 में से अपीलाण्ट को 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि कार्यालय उप जिलाधीश उदयपुर से आवंटन दिनांक 14.04.1975 को आंवटन कर, अपीलाण्ट को मौके पर आधिपत्य सुपुर्द किया तथा अपीलाण्ट को गैर खातेदार घोषित किया तब से अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर आधिपत्य चला आ रहा हैं, जिसे करीब 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका हैं, तथा अपीलाण्ट की ओर से जवाब दस्तावेज अपीलाण्ट को जो पटटा मिला उसकी छायाप्रति तथा गत पेमाईशी नम्बर 2529 कि जमाबन्दी की नकल तथा उसका खसरा मिलान सभी दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजो का बिना अवलोकन किये उक्त आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में अपीलाण्ट को प्रकरण में न तो साक्ष्य पेश करने तथा न ही बहस करने तथा दस्तावेजो का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर पक्षकारान को प्रदान नहीं किया हैं। अतः उक्त परिस्थिति में मैं अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित समझता हूँ।

**::आदेश::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 को खारिज किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार खमनोर को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलांट को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद